छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग – दो

मंगलवार, दिनांक 3 जनवरी, 2023 (पौष 13, 1944)

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

छत्तीसगढ़ विधानसभा की नियमावली के नियम 8 के उप नियम (1) एवं (2) तथा सहपठित 7 के उप नियम (2) के अधीन अध्यक्ष महोदय द्वारा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिये **गुरूवार, दिनांक 5 जनवरी, 2023** का दिन निश्चित किया गया है।

2. उक्त निर्वाचन के संबंध में सदस्यों का ध्यान छत्तीसगढ़ विधानसभा नियमावली के नियम 7 के उप नियम (2) से (4) की ओर आकर्षित किया जाता है, जो निम्नानुसार हैः–

"(2) इस प्रकार नियत तिथि के पूर्व दिन के मध्यान्ह से पहले कोई भी सदस्य किसी भी समय इस प्रस्ताव को, कि किसी अन्य सदस्य को सभा का उपाध्यक्ष चुना जावे सचिव, विधान सभा को संबोधित लिखित रूप में सूचना दे सकेगा और उस सूचना का अनुमोदन एक तीसरा सदस्य करेगा तथा उसके साथ उस सदस्य का जिसका नाम सूचना में प्रस्थापित किया जाये यह कथन संलग्न होगा कि निर्वाचित होने पर वह उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने को राजी है;

परन्तु कोई सदस्य अपना स्वयं का नाम प्रस्थापित नहीं करेगा, न उसका अपना नाम प्रस्थापित करने वाले प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा और न ही एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्थापित या अनुमोदित करेगा।

(3) कार्यसूची में जिस सदस्य के नाम पर कोई प्रस्ताव हो, वह पुकारे जाने पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा या प्रस्ताव वापस ले सकेगा और अपना कथन उस बात तक ही सीमित रखेगा।

(4) जो प्रस्ताव प्रस्तुत तथा विधिवत अनुमोदित हो गये हों, वे एक–एक करके उसी क्रम में रखे जायेंगे, जिस क्रम में कि वे प्रस्तुत किये गये हों और यदि आवश्यक हुआ तो विभाजन द्वारा विनिश्चित किए जायेंगे. यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो पीठासीन व्यक्ति बाद के प्रस्तावों को रखे बिना घोषित करेगा कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रस्थापित सदस्य सभा का उपाध्यक्ष चुन लिया गया है।''

3. उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव की सूचना **बुधवार, दिनांक 4 जनवरी, 2023** को **मध्यान्ह 12:00** बजे के पूर्व तक सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा को दी जानी चाहिए।

4. सदस्यों की सुविधा के लिए उपाध्यक्ष के निर्वाचन के प्रस्ताव की सूचना देने के परिपत्र की प्रतियां विधानसभा सचिवालय से प्राप्त की जा सकती हैं।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा